इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 34 / संयुक्त सचिव / जोन- 2 / 2012–13 दिनांक 22 / 08 / 2012 (29)

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर एकल आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती कामना मध्यान पत्नी श्री सुशील कुमार एवं श्रीमती रचना मध्यान पत्नी श्री विनीत मध्यान स्थल नजूल प्लाट नं0–104ए एवं 116९/2, मकान नं0 134/1 लूकरगंज, झूले लाल नगर, इलाहाबाद जोन संख्या (2) के अन्तर्गत एकल आवासीय भवन निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :–

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या–2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण–पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
4. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
5. स्थल पर 03 अदद वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
6. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा, अन्यथा की स्थिति में मानचित्र निरस्त समझा जायेगा।
7. रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार पूर्ण करकर भू–गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
8. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
9. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
10. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
11. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
12. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

(हस्ताक्षर) 22/8/12

(डी0एस0 उपाध्याय)
संयुक्त सचिव/जो0अधि0–2
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

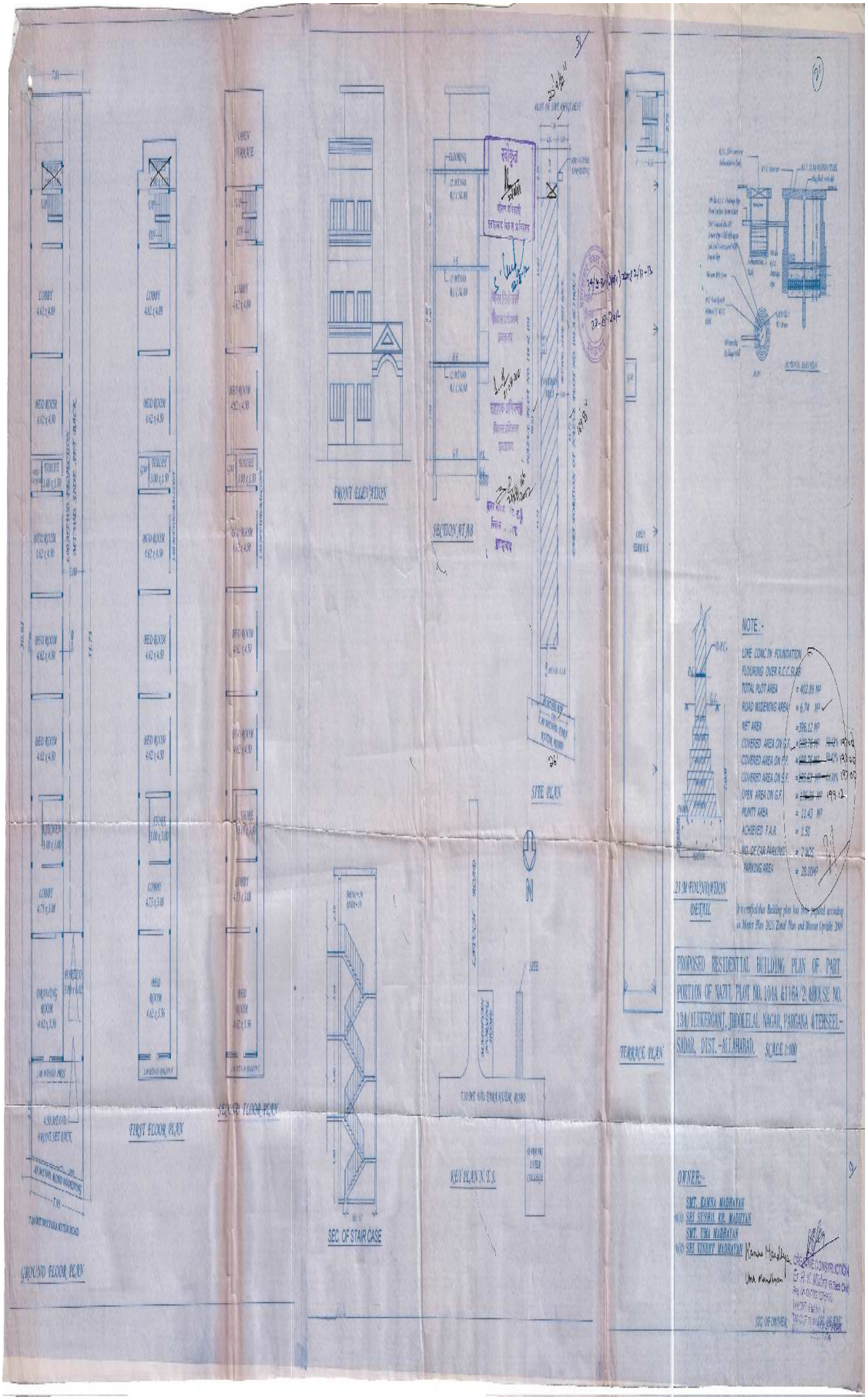

GROUND FLOOR PLAN
FIRST FLOOR PLAN
SECOND FLOOR PLAN
FRONT ELEVATION
SECTION AT AB
SITE PLAN
TERRACE PLAN
SEC. OF STAIR CASE
KEY PLAN N.T.S.
LOBBY
BED ROOM
TOILET
KITCHEN
DRAWING ROOM
PORTICO
OPEN TERRACE
NOTE :-
LIME CONC.IN FOUNDATION
FLOORING OVER R.C.C.SLAB
TOTAL PLOT AREA = 402.86 M²
ROAD WIDENING AREA = 6.74 M²
NET AREA = 396.12 M²
COVERED AREA ON G.F. = 199.76 M² 50.42% 197.00
COVERED AREA ON F.F. = 199.76 M² 50.42% 197.00
COVERED AREA ON S.F. = 195.63 M² 49.38% 197.00
OPEN AREA ON G.F. = 196.36 M² 199.12
MUMTY AREA = 11.43 M²
ACHIEVED F.A.R. = 1.50
NO. OF CAR PARKING = 2 NOS
PARKING AREA = 28.00M²
.23 M FOUNDATION DETAIL
It is certified that Building plan has been prepared according to Master Plan 2021 Zonal Plan and Bhavan Upvidhi 2008
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING PLAN OF PART PORTION OF NAZUL PLOT NO. 104A &116A/2; &HOUSE NO. 134/1LUKERGANJ, JHOOLELAL NAGAR, PARGANA &TEHSEEL-SADAR, DIST.-ALLAHABAD. SCALE 1:100
OWNER:-
SMT. KAMNA MADHAYAN
W/O SRI SUSHIL KR. MADHYAN
SMT. UMA MADHAYAN
W/O SRI VINEET MADHAYAN
SIG. OF OWNER
CONSTRUCTION
Er. R. K. Mishra (B.Tech Civil)
स्वीकृत